कार्यालय राज्य लोक सेवा अधिकरण,इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्रांक-06/रा0लो0सेवा अधि0/16 दिनाँकः- 15/12/2016

कार्यालय आदेश

उ0प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण (पद्वति) नियमावली,1997 के नियम 19 (2) मे यह व्यवस्था हैः-

"यदि आवेदक/याची द्वारा विपक्षियो या प्रत्यर्थियो पर सूचना की तामील हेतु समय से आवश्यक कदम नहीं उठाया जाता है और परिणामस्वरूप तामील अधूरी रह जाती है तो निबंधक द्वारा न्यायपीठ के समक्ष अग्रतर निर्देशो के लिये उस मामले की प्रविष्टि की जायेगी।"

उ0 प्र0 राज्य लोक सेवा अधिकरण पद्धति नियमावली 1997 के नियम 101 निम्न व्यवस्था की है

" यदि इस नियमावली के कियान्वयन के प्रकरण मे कोई सन्देह या कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसे अध्यक्ष के समक्ष रखा जायगा और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा। "

उपरोक्त नियम 19(2) में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है तदानुसार नियम 19(2) प्रतिस्थापित समझा जायेगा

" यदि आवेदक/याची द्वारा विपक्षियो या प्रत्यर्थियो पर सूचना की तामील हेतु समय से आवश्यक कदम नही उठाया जाता है और परिणामस्वरूप तामील अधूरी रह जाती है व पीठ द्वारा निर्धारित तिथि के बाद स्टेप्स/पैरवी दाखिल किया जाता है तो पीठ के पूर्व आदेशो के अनुपालन में निबंधक द्वारा भी नोटिस जारी किया जा सकता है।"

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

15/12/16

(जगदीश प्रसाद)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषितः-

1.निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष महोदय।
2.निजी सचिव, मा0 सदस्य,न्या0 एंव प्रशा0।
3.वैयक्तिक सहायक, निबंधक
4.समस्त निजीसचिव/वैयक्तिक सहायक/पेशकार।
5.मुख्य/वरिष्ठ प्रशा0 अधि0 प्रशा0 अधि याचिका/अवमानना/पुस्तकालय
6.नाजिर/गार्डफाइल हेतू।